उ0प्र0 शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग–10
संख्या: 203 / 6–पु0–10–2010
लखनऊ:दिनांक 19 जनवरी,2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खंड अधिनियम,1897(अधिनिमय संख्या–10,सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम,1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा–2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर–प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित निमयावली बनाते हैं:–

उत्तर–प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2010

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर–प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2010 कही जाएगीं।	
		(2) यह 02 दिसम्बर,2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।	
नियम 1 का संशोधन	2.	उत्तर–प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है,में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा,अर्थात:–	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान उपनियम	एतदद्वारा प्रति स्थापित उपनियम
		यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	(2) यह 02 दिसम्बर,2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
नियम 5 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में,नियम 5 में,नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये शीर्षक "(1) निरीक्षक के अधीन आने वाले विद्यमान खण्ड(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा,अर्थात:–	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान खण्ड	एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा	(2) निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा

				टिप्पणी—1	जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते है,पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगें।
				टिप्पणी—2	लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी। जैसी परिशिष्ट—3 में विहित है।
				(दो)	चयन समिति नियम—6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपनियम(दो) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।
नियम 30 बढ़ाया जाना	5.	उक्त नियमावली में,नियम 29 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा अर्थातः—			
अध्यारोही प्रभाव	30	राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगें।			

आज्ञा से,

15.1.2017

(कुवॅर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव।